संख्या: 118/2016/ 481 /पैंतीस-4-2016

प्रेषक,

राम रेखा पाण्डेय,
सयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

**नियोजन अनुभाग-4** **लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2016**

**विषय- वर्ष 2015-16 में केन्द्रीय योजना सपोर्ट फार स्टेस्टिकल स्ट्रेन्थिनिंग (एसएसएस) के अन्तर्गत अर्थ एवं संख्या प्रभाग के भवन में ट्रांसफारमर स्थापित किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 78/ले0-69/2009टी0सी0, दिनांक 25.01.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा केन्द्रीय योजना सपोर्ट फार स्टेस्टिकल स्ट्रेन्थिनिंग (एसएसएस) के अन्तर्गत अर्थ एवं संख्या प्रभाग के भवन में ट्रांसफारमर स्थापित किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- वर्ष 2015-16 में केन्द्रीय योजना सपोर्ट फार स्टेस्टिकल स्ट्रेन्थिंग (एसएसएस) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 6.00 करोड़ के सापेक्ष राज्यांश सहित कुल रू0 6.45 करोड़ (रू0 छः करोड़ पैतालिस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या: 34/2016/19/पैतीस-4-2016, दिनांक 21.01.2016 द्वारा प्रदान करते हुए उक्त धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखी जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अर्थ एवं संख्या प्रभाग से प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त केन्द्रीय योजना सपोर्ट फार स्टेस्टिकल स्ट्रेन्थिनिंग (एसएसएस) के अन्तर्गत अर्थ एवं संख्या प्रभाग के भवन में ट्रांसफारमर लागत रू0 22,08,475/- (रू0 बाईस लाख आठ हजार चार सौ पचहत्तर मात्र) स्थापित किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति एवं रू0 22,08,475/- (रू0 बाईस लाख आठ हजार चार सौ पचहत्तर मात्र) का आहरण कर अधिशाषी अभियन्ता, वि0न0वि0 खण्ड राजभवन, लेसा को अग्रिम भुगतान की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-:

(1) उक्त अग्रिम धनराशि का आहरण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं शासनादेश संख्या: ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10.06.2011 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

(2) अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा अग्रिम रूप से आहरित की जा रही समस्त धनराशि का समायोजन दिनांक 31.03.2016 तक अवश्य प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(3) कार्यदायी संस्था को धनराशि निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराने का दायित्व अर्थ् एवं संख्या प्रभाग का होगा।

(4) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार होगा।

(5) क्रय किये जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता व दर सुनिश्चित करने का दायित्व अर्थ एवं संख्या प्रभाग का होगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपकरणों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो एवं मूल्य प्रचलित बाजार दर से अधिक न हो।

(7) व्यय करने से पूर्व भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/एम0ओ0यू0 का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकीय-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकीय-आयोजनागत-001-निदेशन एवं प्रशासन-04- स्टेट स्ट्रेटिजिक स्टेटिस्टिकल प्लान के अन्तर्गत मद 42- अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: एफ-ए-1-157/दस-2016, दिनांक 31 मार्च, 2016 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

**( राम रेखा पाण्डेय )**
संयुक्त सचिव।

संख्या: 118/2016/481 (1)/पैतीस-4-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व , द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग ) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्य निष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**( राम रेखा पाण्डेय )**
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।